

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 572]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 22 दिसम्बर 2011—पौष 1, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2011

क्र. बी-1-52-2011-2-पांच (38).—स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 8, 10 तथा 78 बी द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्स्टेन्सेज (मध्यप्रदेश) रूल्स, 1985 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 37-घ में, खण्ड (तीन) में, विद्यमान परन्तुक के स्थान पर,

निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“परन्तु वर्ष 2011-12 के लिये यह कालावधि केवल मन्दसौर और नीमच जिले के लिए 1 अप्रैल, 2011 से 31 दिसम्बर, 2011 तक होगी.”

यह संशोधन 1 अक्टूबर 2011 से प्रभावी समझा जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2011

क्र. बी-1-52-2011-2-पांच (38).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. बी-1-52-2011-2-पांच (38) दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 22nd December 2011

No.-B-1-52-2011-2-V-(38).—In exercise of the powers conferred by Section 8, 10 and 78 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Madhya Pradesh) Rules, 1985, namely.—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 37-D, in clause (iii), for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that for the year 2011-2012 this period shall be from 1st April, 2011 to 31st December, 2011 only for Mandsour and Neemuch District."

This amendment shall be deemed to have into force from 1st October, 2011.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.